बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015–   पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्ति देने हेतु बजट उपबंधित कुल ₹10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़) मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जो वर्ष 2015 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार मेधासूची तैयार कर क्रमानुसार, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र एवं संबंधित छात्रों के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, के जाँचोंपरान्त उचित पहचान कर एकमुश्त राशि ₹10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान खाता भुगतेय बैंक ड्राफ्ट/चेक/e-Z Pay Card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

5/8/2015

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– प्रस्ताव में माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।

7– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु0– **यथोपरि।**

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/मु0मेधा0–40–07/2015– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/मु0मेधा0–40–07/2015– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/मु0मेधा0–40–07/2015– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/मु0मेधा0–40–07/2015–28 पटना, दिनांक–5-8-15

प्रतिलिपि–श्री अजय कुमार शर्मा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/8/2015
सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के छात्रों की जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणीः–

क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	71001	2744	3690000
2	नालंदा	72001	3672	4930000
3	रोहतास	74001	2991	4020000
4	भभुआ	76001	735	990000
5	भोजपुर	73001	3426	4600000
6	बक्सर	75001	962	1290000
7	गया	81001	4260	5720000
8	जहानाबाद	84001	1147	1540000
9	अरवल	85001	2526	3390000
10	नवादा	82001	4595	6180000
11	औरंगाबाद	83001	3454	4640000
12	सारण	91001	3333	4480000
13	सिवान	92001	1559	2090000
14	गोपालगंज	93001	1389	1860000
15	मुजफ्फरपुर	51001	942	1260000
16	सीतामढ़ी	52001	2036	2730000
17	शिवहर	56001	363	480000
18	प0 चम्पारण	54001	1684	2260000
19	पू0 चम्पारण	55001	2174	2920000
20	वैशाली	53001	3851	5180000
21	दरभंगा	61001	1239	1660000
22	मधुबनी	62001	2902	3900000
23	समस्तीपुर	63001	3013	4050000
24	सहरसा	41001	1401	1880000
25	सुपौल	42001	1012	1360000
26	मधेपुरा	43001	1433	1920000
27	पूर्णिया	11001	647	1040000
28	अररिया	12001	603	810000
29	किशनगंज	13001	121	160000
30	कटिहार	14001	538	720000
31	भागलपुर	31001	1870	2510000
32	बाँका	32001	1548	2080000
33	मुंगेर	21001	1902	2550000
34	लखीसराय	23001	2088	2800000
35	शेखपुरा	24001	812	1090000
36	जमुई	22001	1349	1810000
37	खगड़िया	25001	2200	2950000
38	बेगूसराय	26001	1830	2460000
	कुल योग		**74351**	**100000000**

(रूपये दस करोड़) मात्र

पत्रांक–28 दिनांक–5-8-15 का अनुलग्नक।

5/8/2015
सरकार के सचिव।